



Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 14-2019]

चण्डीगढ़, मंगलवार, दिनांक 2 अप्रैल, 2019
(12 चैत्र, 1940 शक)

विधायी परिशिष्ट

क्रमांक	विषय वस्तु	पृष्ठ
भाग I	अधिनियम	
	कुछ नहीं	
भाग II	अध्यादेश	
	कुछ नहीं	
भाग III	प्रत्यायोजित विधान	
	1. अधिसूचना संख्या सांकांनि०१९/संविधान/अनु० ३०९/२०१९, दिनांक २९ मार्च, २०१९ – हरियाणा राज्य पुरातत्व एवं संग्रहालय (ग्रुप क) सेवा (संशोधन) नियम, २०१९ कहे जा सकते हैं।	141–142
	2. अधिसूचना संख्या सांकांनि०२०/संविधान/अनु० ३०९/२०१९, दिनांक २९ मार्च, २०१९ – हरियाणा राज्य पुरातत्व एवं संग्रहालय (ग्रुप ख) सेवा (संशोधन) नियम, २०१९ कहे जा सकते हैं। (प्राधिकृत अंग्रेजी अनुवाद सहित)	143–144
भाग IV	शुद्धि–पर्ची, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन	
	कुछ नहीं।	

भाग-III**हरियाणा सरकार**

पुरातत्व तथा संग्रहालय विभाग

अधिसूचना

दिनांक 29 मार्च, 2019

संख्या सांकाठनि० 19/संविधान/अनु० 309/2019— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा राज्य पुरातत्व एवं संग्रहालय (ग्रुप क) सेवा नियम, 1997 को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. ये नियम हरियाणा राज्य पुरातत्व एवं संग्रहालय (ग्रुप क) सेवा (संशोधन) नियम, 2019, कहे जा सकते हैं।
2. हरियाणा राज्य पुरातत्व एवं संग्रहालय (ग्रुप क) सेवा नियम, 1997 में, नियम 5 में, “40 वर्ष” अंकों तथा शब्द के स्थान पर, “बयालीस वर्ष” शब्द प्रस्थापित किये जायेंगे।

धीरा खण्डेलवाल,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
पुरातत्व तथा संग्रहालय विभाग।

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT

ARCHAEOLOGY AND MUSEUMS DEPARTMENT

Notification

The 29th March, 2019

No. G.S.R. 19/Const./Art. 309/2019.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana, hereby makes the following rules further to amend the Haryana State Archaeology and Museum (Group A) Service Rules, 1997, namely:-

1. These rules may be called the Haryana State Archaeology and Museum (Group A) Service (Amendment) Rules, 2019.
2. In the Haryana State Archaeology and Museums (Group A) Service Rules, 1997, in rule 5, for the figure “40”, the words and sign “forty- two” shall be substituted.

DHEERA KHANDELWAL,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Archaeology and Museums Department.

56969—C.S.—H.G.P., Chd.



Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 28–2022] चण्डीगढ़, मंगलवार, दिनांक 12 जुलाई, 2022
(21 आषाढ़, 1944 शक)

विधायी परिशिष्ट

क्रमांक	विषय वस्तु	पृष्ठ
भाग I	अधिनियम	
	कुछ नहीं	
भाग II	अध्यादेश	
	कुछ नहीं	
भाग III	प्रत्यायोजित विधान	
1.	अधिसूचना संख्या सांकांनि० 129 / संविं० / अनु० 309 / 2022, दिनांक 08 जुलाई, 2022 – हरियाणा राज्य पुरातत्व एवं संग्रहालय (ग्रुप क) सेवा (संशोधन) नियम, 2022.	635–636
2.	अधिसूचना संख्या सांकांनि० 130 / संविं० / अनु० 309 / 2022, दिनांक 08 जुलाई, 2022 – हरियाणा राज्य पुरातत्व (ग्रुप ख) सेवा (संशोधन) नियम, 2022.	637–638
3.	अधिसूचना संख्या सांकांनि० 131 / संविं० / अनु० 309 / 2022, दिनांक 08 जुलाई, 2022 – हरियाणा राज्य पुरातत्व एवं संग्रहालय (ग्रुप ग) सेवा (संशोधन) नियम, 2022.	639–640
4.	अधिसूचना संख्या सांकांनि० 132 / संविं० / अनु० 309 / 2022, दिनांक 08 जुलाई, 2022 – हरियाणा पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग (ग्रुप घ) सेवा (संशोधन) नियम, 2022.	641–642
भाग IV	शुद्धि–पर्ची, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन	
	कुछ नहीं।	

भाग – III**हरियाणा सरकार****पुरातत्व तथा संग्रहालय विभाग****अधिसूचना**

दिनांक 8 जुलाई, 2022

संख्या साठकाठनि० 129/संवि०/अनु० 309/2022.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा राज्य पुरातत्व एवं संग्रहालय (ग्रुप क) सेवा नियम, 1997, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. ये नियम हरियाणा राज्य पुरातत्व एवं संग्रहालय (ग्रुप क) सेवा (संशोधन) नियम, 2022, कहे जा सकते हैं।
2. हरियाणा राज्य पुरातत्व एवं संग्रहालय (ग्रुप क) सेवा नियम, 1997 में, नियम 5 में, “25” अंकों के स्थान पर, “अठारह” शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा।

एस० एन० राय,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
पुरातत्व तथा संग्रहालय विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
ARCHAEOLOGY AND MUSEUMS DEPARTMENT

Notification

The 8th July, 2022

No. G.S.R. 129/Const./Art. 309/2022. – In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana, hereby makes the following rules further to amend the Haryana State Archaeology and Museum (Group A) Service Rules, 1997, namely:—

1. These rules may be called the Haryana State Archaeology and Museum (Group A) Service (Amendment) Rules, 2022.
2. In the Haryana State Archaeology and Museums (Group A) Service Rules, 1997, in rule 5, for the figure “25”, the words “eighteen” shall be substituted.

S. N. ROY,
Additional Chief Secretary to Government, Haryana,
Archaeology and Museums Department.